प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 29.07.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

थाना खीरी पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम ट्रैक्टर लूट घटना का किया गया सफल अनावरण, लूट के 01 अदद ट्रैक्टर सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.07.2022 को थाना खीरी पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 24.07.22 को थाना क्षेत्र के मां देवी ईट भट्टे पर हुई ट्रैक्टर की लूट की घटना से संबंधित मु0अ0सं0 349/22 धारा 394 भादवि0 का सफल अनावरण करते हुए 04 नफर अभियुक्तों शादाब,जर्रार, लियाकत व शैलेश कुमार तोलानी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 01 अदद ट्रैक्टर बरामद किया गया। घटना के संबंध में विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 395/412 बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. शादाब पुत्र लियाकत निवासी ग्राम सरखनापुर थाना व जनपद खीरी
2. जर्रार पुत्र लियाकत निवासी ग्राम सरखनापुर थाना व जनपद खीरी
3. लियाकत पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम सरखनापुर थाना व जनपद खीरी
4. शैलेश कुमार तोलानी पुत्र ईश्वर दास तोलानी निवासी मो0 महाराजनगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

<u>बरामदगीः–</u>

लूट का 01 अदद ट्रैक्टर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. निरीक्षक अपराध अशोक कुमार, थाना खीरी
2. उ0नि0 प्रेमचन्द्र सिंह, थाना खीरी
3. उ0नि0 शिव कुमार यादव,(क्राइम ब्रान्च)
4. का0 अंकित कुमार, थाना खीरी
5. का0 कौशलेन्द्र कुमार, थाना खीरी
6. का0 देवेन्द्र सिंह यादव (क्राइम ब्रान्च)
7. का0 श्रीओम मिश्रा (क्राइम ब्रान्च)
8. का0 ललित कुमार (क्राइम ब्रान्च)
9. का0 अजीत यादव (क्राइम ब्रान्च)
10. का0 रजनीश (क्राइम ब्रान्च)
11. का0 तुषार (क्राइम ब्रान्च)

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त सर्वेश पुत्र सुर्य प्रसाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29.07.2022 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त सर्वेश पुत्र सुर्य प्रसाद निवासी ग्राम राजापुर मजरा गड़ौसा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ मिलपुरवा बंधा पुलिया वहद ग्राम मिलपुरवा से गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना फूलबेहड़ पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>:-
सर्वेश पुत्र सुर्य प्रसाद निवासी ग्राम राजापुर मजरा गड़ौसा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

<u>बरामदगीः-</u>
01अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
1. उ0नि0 उदयभान यादव, थाना फूलबेहड़
2. उ0नि0 अंकुर कुमार थाना फूलबेहड़
3. का0 मोनू कुमार थाना फूलबेहड़
4. का0 रोहित कुमार थाना फूलबेहड़

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त इकरार पुत्र सलामतुल्ला को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29.07.2022 को थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त इकरार पुत्र सलामतुल्ला निवासी ग्राम गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ हजरतापुर मोड़ के पास वहद ग्राम हजरतापुर से गिरफ्तार किया गया । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना फूलबेहड़ पर मु0अ0सं0 368/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
इकरार पुत्र सलामतुल्ला निवासी ग्राम गंगाबेहड़ थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी

बरामदगीः-
01अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1. उ0नि0 अंकुर कुमार, थाना फूलबेहड़
2. हे0का0 ब्रजेश सिंह थाना फूलबेहड़
3. का0 अनिरुद्ध यादव थाना फूलबेहड़
4. का0 अंगद यादव थाना फूलबेहड़

थाना फरधान पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त मोबिन को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29.07.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 323/22 धारा 5/8 गोवध निवारण अधि0 में वारंटी अभियुक्त मोबिन पुत्र रहमतुल्ला को गिरफ्तार कर माननीय न्या0 भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-
मोबिन पुत्र रहमतुल्ला नि0 ग्राम अन्दापुर थाना फरधान जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 देवकरण शर्मा
2. हे0का0 विनोद कुमार वर्मा
3. का0 शैलेन्द्र कुमार

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद करके अभियुक्त शकिल पुत्र वली अहमद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 29.07.2022 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त शकिल पुत्र वली अहमद निवासी मो0 देवीस्थान कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ बसखेड़ा तिहारा से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना मोहम्मदी पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
शकिल पुत्र वली अहमद निवासी मो0 देवीस्थान कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगीः-
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1. उ0नि0 लालबहादुर मिश्रा, थाना मोहम्मदी
2. का0 विवेक कुमार सिंह
3. का0 रोहित कुमार

थाना भीरा पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त नजीबुल उर्फ अरमान को चोरी की सरकारी रायफल सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 29.07.2022 को थाना भीरा मु0अ0सं0 392/2022 धारा 380/457 भादवि0 में वांछित अभियुक्त नजीबुल उर्फ अरमान पुत्र मेहदी हसन उर्फ डब्बू निवासी फारेस्ट कोठी के सामने कस्बा व थाना भीरा जनपद खीरी को वन रक्षक के घर से चोरी की गई सरकारी रायफल व 04 अदद कारतूस सहित गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.07.2022 की रात को वनरक्षक राजेश कुमार के आवास में सरकारी राइफल 315 बोर रखी थी जिसे अभियुक्त नजीबुल उर्फ अरमान पुत्र मेहंदी हसन उर्फ डब्बू द्वारा बदले की भावना से वन कर्मचारियों को फंसाने की नियत से रायफल चुरा लिया ताकि वन रक्षक को फसाया जा सके। अभियुक्त ने बताया कि उसे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत 6/7 सालों में लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिनसे बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>
नजीबुल उर्फ अरमान पुत्र मेहदी हसन उर्फ डब्बू निवासी फारेस्ट कोठी के सामने कस्बा व थाना भीरा
<u>अभियुक्त के कब्जे से बरामदगीः-</u>
वन रक्षक के घर से चोरी की गई सरकारी रायफल 315 बोर
04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
<u>अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगः-</u>
मु0अ0सं0 392/22 धारा 380,457,411,413 आईपीसी थाना भीरा
मु0अ0स0 72/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
मु0अ0स0 216/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
केश रेंज संख्या 02/2011/12
केश रेंज संख्या 01/2015/16
केश रेंज संख्या 13/2016/17/17
केश रेंज संख्या 19/2016/17
केश रेंज संख्या 08/2017/18
केश रेंज संख्या 10/2017/18
<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः</u>
1. थानाध्यक्ष दीपक राठौर, थाना भीरा
2. वरिष्ठ उ0नि0 राजेश कुमार यादव
3.. उ0नि0 श्री विपिन कुमार सिंह
4 उ0नि0 श्री आलोक कुमार राय
5. का0 विनय कुमार गूजर
6. का0 प्रदीप चीमा
7. का0 विशाल कुमार

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद करके अभियुक्त सुशील पुत्र खलील को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 28.07.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त सुशील पुत्र खलील को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना तिकुनिया पर मु0अ0सं0 204/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्तगण का चालान मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सुशील पुत्र खलील निवासी सुथना थाना तिकुनिया जनपद खीरी

बरामदगीः-

01 अदद अवैध चाकू बरामद

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही निम्नकार्यवाहीकीगईहै:-

1. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 878/22 धारा 354/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त सोभित त्रिपाठी पुत्र सुशील निवासी देवापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

2. थाना भीरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 381/22 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त विजय पुत्र विनोद निवासी हरैया थाना भीरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

3. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 3724/20 धारा 498A/323/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वारण्टी अभियुक्त आशीष पुत्र चेतराम निवासी सरनापुरम थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

4. थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143/09 धारा NDPS Act में वारण्टी अभियुक्त राजू पुत्र बुद्धा निवासी ठाकुरपुरवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 155 लीटर अवैध शराब बरामद कर 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>155 लीटर अवैध</u>** कच्ची शराब व **<u>09</u>** अवैध शराब भट्ठी बरामद कर **<u>13 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>13 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए।